

लोक सभा  
तारांकित प्रश्न सं. \*234  
05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र क्षेत्र में रोज़गार की स्थिति

\*234. श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में वस्त्र एवं हथकरघा क्षेत्र में रोज़गार की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) इन क्षेत्रों में और अधिक रोज़गार सृजित करने के लिए क्या पहल की गई है/की जा रही है;
- (ग) इन क्षेत्रों के श्रमिकों को औसतन कितना मासिक वेतन प्रदान किया जाता है; और
- (घ) सरकार द्वारा वस्त्र क्षेत्र के श्रमिकों की सुरक्षा के लिए किए गए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित उपायों का व्यौरा क्या है?

उत्तर  
वस्त्र मंत्री  
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"वस्त्र क्षेत्र में रोजगार की स्थिति" के संबंध में श्री सचिदानन्दम आर. द्वारा दिनांक 05.08.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 234\* के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): वस्त्र उद्योग देश में रोजगार के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जो हथकरघा क्षेत्र सहित लगभग 45 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है।

(ख): वस्त्र क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों, जैसे समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना), राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी), राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी), राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम), प्रधानमंत्री-मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान पार्क (पीएम-मित्र) योजना, उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और अन्य क्रियान्वित कर रही हैं।

(ग): औसत मासिक आय विभिन्न कारकों जैसे रोजगार/स्व-रोजगार का स्थान और क्षेत्र, अर्जित योग्यता का स्तर, अंशकालिक या पूर्णकालिक कार्य आदि पर निर्भर करती है। तथापि, उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 के अनुसार, वस्त्र क्षेत्र में औसत मासिक वेतन 13,948 रुपये है।

(घ): भारत सरकार देश भर में वस्त्र कामगारों के कल्याण हेतु उनके सामाजिक सुरक्षा लाभों में सुधार और वृद्धि हेतु कई योजनाएँ क्रियान्वित कर रही हैं। वस्त्र कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ योजनायें इस प्रकार हैं:

**हथकरघा कामगारों के लिए योजनायें:** राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हथकरघा बुनकर कल्याण घटक, हथकरघा बुनकरों/कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इनमें से कुछ उपायों में (i) रियायती ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता, मार्जिन मनी सहायता, ऋण गारंटी शुल्क सहायता आदि। (ii) हथकरघा कामगारों के लिए बीमा कवर और (iii) एक लाख रुपए से कम की वार्षिक आय वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरस्कार विजेता बुनकरों/कामगारों को, उनकी दीन-हीन परिस्थितियों में वित्तीय सहायता दी जाती है।

**हस्तशिल्प कामगारों के लिए योजनायें :** राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम [एनएचडीपी] के कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ (कल्याण) घटक के अंतर्गत, हस्तशिल्प कामगारों के लिए कुछ कल्याणकारी उपाय जिनमें शामिल हैं: (i) जरूरतमंद परिस्थितियों में कारीगरों को सहायता (ii) ऋण सुविधा के लिए ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी (iii) केंद्र/राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए हस्तशिल्प कारीगरों को आधार आधारित फोटो पहचान पत्र (iv) हस्तशिल्प कारीगरों को बीमा कवर और (v) हस्तशिल्प कामगारों के लाभ के लिए जागरूकता कैम्प/चौपाल/शिविर।

**पटसन कामगारों के लिए योजनायें:** राष्ट्रीय जूट बोर्ड, जूट मिल कामगारों की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए जूट मिलों को सहायता प्रदान करता है। जूट मिलों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जूट विविध उत्पाद इकाइयों के कामगारों की बालिकाओं को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर शैक्षिक सहायता/द्वात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है।

इसके अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कार्यान्वित जिलों में 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले वस्त्र कामगारों के लिए जो प्रति माह ₹21,000/- (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ₹25,000/-) तक वेतन प्राप्त करते हैं, चिकित्सा लाभ, बीमारी आदि जैसी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।

\*\*\*\*